"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017 —— श्रावण 2, शक 1939

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-86/गृह-सी/2017. — जिला दण्डाधिकारी, बस्तर-जगदलपुर के प्रतिवेदन दिनांक 14-07-2017 से राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बस्तर परिवहन संघ, नगरनार ट्रांसपोर्ट एसोशियेशन एवं बस्तर टिप्पर-ट्रेलर संघ के मध्य लौह अयस्क सहित अन्य सामग्रियों के परिवहन को लेकर विवाद होने पर गुप्ती राड हथियार तथा गोली चालान किया गया जिससे परिशांति भंग तथा आसपास के क्षेत्र का वातावरण अशांत होने की स्थिति को देखते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् दो माह की अवधि हेतु जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16-05-2017 जिसकी अवधि दिनांक 15-07-2017 को समाप्त हो रही है उसे आगे यथावत रखना अपरिहार्य हो गया है.

अत: राज्य सरकार एतद्द्वारा बलवे, संभावित दंगे की रोकथाम के लिये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला दण्डाधिकारी बस्तर-जगदलपुर द्वारा दो माह की अवधि हेतु पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16-05-2017 जिसकी अवधि दिनांक 15-07-2017 को समाप्त हो रही है की निरन्तरता को बनाये रखते हुए दिनांक 15-07-2017 से आगामी दो माह के लिये (दिनांक 15-07-2017 से 14-09-2017 तक) यथावत रखने का निर्देश देती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.